



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022026-270426
CG-DL-E-24022026-270426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 914]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 914]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 958(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

प्राधिकारी का नाम और पता

अधिकारिता का क्षेत्र

(1)

(2)

श्री अबुल कलाम

सेवानिवृत्त, सहायक नगर आयुक्त,

उत्तर प्रदेश

नगर निगम, झांसी, उत्तर प्रदेश

सक्षम प्राधिकारी, आईएचबी लिमिटेड,
कांडला – गोरखपुर एल. पी. जी. पाइपलाइन परियोजना,
उत्तर प्रदेश

एस.ओ. 12 (अ) दिनांक 3 जनवरी, 2022 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 जनवरी, 2022 की अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित व्यक्तियों— श्री सोमदत्त मौर्य, श्री मदन चन्द्र दुबे, श्री राकेश कुमार एवं श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव—तथा एस.ओ. 13 (अ) दिनांक 3 जनवरी, 2022 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 जनवरी, 2022 की अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित श्री प्रमोद शंकर शुक्ला को डी-नोटिफाई किया जाना समझा जाए।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I-भाग(1)/ई-45874]

श्री शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2026

S.O. 958(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

Schedule

Name and Address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Shri Abul Kalam Retired, Assistant Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi, Uttar Pradesh Competent Authority, IHB Limited, Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project, Uttar Pradesh	Uttar Pradesh

Shri Somdatt Maurya, Shri Madan Chandra Dubey, Shri Rakesh Kumar, and Shri Gyan Prakash Srivastava, the persons mentioned in Column (1) of the Schedule under S.O. 12(E) dated 03 January 2022, published in the Gazette of India dated 4 January 2022, and Shri Pramod Shankar Shukla, the person mentioned in Column (1) of the Schedule under S.O. 13(E) dated 03 January 2022, published in the Gazette of India dated 4 January 2022, stand de-notified.

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part(1)/E-45874]

Shri SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.